भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1006
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

समग्र शिक्षा अभियान में केंद्रीय हिस्सेदारी

†1006. **श्रीमती भारती पारधी:**
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो सरकार की वर्तमान हिस्सेदारी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या राज्य सरकार ने एसएसए के अंतर्गत केंद्रीय हिस्सेदारी बढ़ाने का अनुरोध किया है;
(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(घ) क्या एसएसए ने अपना लक्षित लक्ष्य हासिल कर लिया है;
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) सरकार द्वारा वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने और स्कूलों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 में स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12वीं तक की पूरी शिक्षा शामिल है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के साथ अनुकूलित किया गया है। इस योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी केंद्रीय आवंटन और केंद्रीय अंश का ब्यौरा (31 जनवरी 2025 तक) अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) और (ग): समग्र शिक्षा के तहत सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) के माध्यम से योजना में शामिल सभी कार्यकलाप के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से मंत्रालय में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है और आनुपातिक निधियां आवंटित की जाती है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत निधि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की पूर्ति, जैसे कि एसएनए को केंद्रीय अंश का हस्तांतरण, व्यय की गति, एसएनए में राज्य के आनुपातिक अंश की प्राप्ति, बकाया अग्रिमों पर विवरण, अद्यतन व्यय विवरण, वित्तीय प्रबंधन और खरीद संबंधी मैनुअल में निर्धारित जानकारी प्रस्तुत करना और पिछले वर्ष का लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर जारी की जाती है।

(घ) और (ङ): इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, योजना का लक्ष्य एनईपी 2020 के अनुरूप निम्नलिखित घटकों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करना है:

- एनईपी 2020 की सिफारिश को लागू करना;
- आरटीई अधिनियम, 2009 को लागू करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना;
- प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर ध्यान केंद्रित करना;
- मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकज्ञान पर ध्यान देना;
- समग्र, एकीकृत, समावेशी और गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र पर ध्यान देना;
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना;
- स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना;
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेश सुनिश्चित करना;
- एससीईआरटी/एसआईईई और डीआईईईटी को सुदृढ़ और उन्नत करना;
- स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में सुरक्षित, संरक्षित और सीखने का अनुकूल माहौल और न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना;
- शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना।

विभाग ने समग्र शिक्षा के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिसमें बुनियादी साक्षरता के लिए निपुण भारत, स्कूल की तैयारी के लिए विद्या प्रवेश और निष्ठा कार्यक्रम जैसी प्रमुख पहल शामिल हैं। उल्लेखनीय घटनाक्रमों में मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एफएस) और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) का शुभारंभ शामिल है। मूल्यांकन के लिए परख, पीएम ई-विद्या के तहत दीक्षा और शिक्षा विस्तार के लिए स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल जैसी पहल की गई हैं। देश भर में शैक्षिक

गुणवत्ता और पहुँच बढ़ाने के लिए डाइट उत्कृष्टता केंद्र, केजीबीवी स्कूल, 10 बैगलेस दिन दिशानिर्देश और कैरियर मार्गदर्शन संसाधन जैसी अतिरिक्त परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।

(च): इस विभाग ने प्रबंध (परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग) प्रणाली शुरू की है। प्रबंध प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक समग्र शिक्षा के विभिन्न कार्यकलाप के तहत किए गए व्यय का अद्यतनीकरण है। इस प्रयोजन के लिए, समग्र शिक्षा के प्रमुख उपायों के तहत वास्तविक और वित्तीय प्रगति की मासिक स्थिति प्रदर्शित करने के लिए प्रबंध प्रणाली में एक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन डैशबोर्ड बनाया गया है। योजना की निगरानी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, देश के अधिकांश स्कूल और शिक्षक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जमीनी स्तर पर ऐसी योजनाओं की अवधारणा, कार्यान्वयन और प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, यह केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि भारत की मानकीकृत एकीकृत शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ राज्यों की क्षेत्रीय विविधताओं को भी बरकरार रखा जाए।

*****

अनुलग्नक-I

समग्र शिक्षा अभियान में केन्द्र की हिस्सेदारी के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती भारती पारधी, श्री धर्मेन्द्र यादव और श्री श्रीरंग अप्पा चंदू बारणे द्वारा दिनांक 10.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1006 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

समग्र शिक्षा के संबंध में जारी केंद्रीय अंश का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	केंद्रीय आवंटन वर्ष 2024-25 (रु.करोड़ में)	केंद्रीय अंश वर्ष 2024-25 (31.01.2025 तक जारी) (रुपए करोड़ में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	84.84	25.01
2	आंध्र प्रदेश	1,727.41	496.15
3	अरुणाचल प्रदेश	576.59	274.81
4	असम	2,578.10	1415.84
5	बिहार	4,991.23	1887.94
6	चंडीगढ़	137.21	84.34
7	छत्तीसगढ	1,157.85	479.63
8	डीएनएच और डी एंड डी	98.03	39.05
9	दिल्ली	411.04	157.38
10	गोवा	24.27	15.22
11	गुजरात	1,598.44	510.09
12	हरियाणा	1,076.33	166.64
13	हिमाचल प्रदेश	758.50	336.73
14	जम्मू एवं कश्मीर	1,721.60	411.56
15	झारखंड	1,173.86	773.85
16	कर्नाटक	922.75	441.19
17	केरल	420.91	0.00
18	लद्दाख	185.71	89.98
19	लक्षद्वीप	6.70	3.06
20	मध्य प्रदेश	3,842.07	2783.66
21	महाराष्ट्र	1,321.90	467.92
22	मणिपुर	483.05	211.82
23	मेघालय	398.83	263.11
24	मिजोरम	294.19	142.84
25	नागालैंड	284.39	104.40
26	ओडिशा	1,895.20	1148.18

27	पुदुचेरी	19.74	7.52
28	पंजाब	708.78	489.52
29	राजस्थान	3,560.25	1364.62
30	सिक्किम	153.37	50.94
31	तमिलनाडु	2,151.60	0.00
32	तेलंगाना	1,148.35	412.74
33	त्रिपुरा	414.94	207.47
34	उत्तर प्रदेश	6,971.26	344.00
35	उत्तराखंड	877.13	3104.36
36	पश्चिम बंगाल	1,745.80	0.00
	कुल	**45,922.22**	**18711.57**

*****